पूर्ण क्षमता समुपयोजन प्रायः संभव नहीं होता। इसलिए, इस प्रकार की स्थिति में विद्युत उत्पादन की लागत अलग-अलग केन्द्रों में भिन्न-भिन्न होती है।

विद्युत उत्पादन के लिए समझौते

5381. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार ने 1 अप्रैल, 1995 तक विद्युत उत्पाद के सम्बन्ध समझौते किये हैं;

(ख) उन कम्पनियों के देशवार नाम क्या हैं जोकि भारत में विद्युत क्षेत्र में पूंजी-निवेश करने के लिए पहल कर रही हैं और प्रत्येक देसी कम्पनी द्वारा कितनी धन-राशि का निवेश किया जाएगा; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सिंगनभाई पटेल): (क) विद्युत उत्पादन के बारे में सरकार से सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) व (ग) उन विद्युत कम्पनियों, जिन्होंने अपनी अभिप्रापित क्षमता और अनुमानित लागत समेत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश करने की रुचि प्रकट की है, उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[देखिए परिशिष्ट 173 अनुपत्र सं० 116]

डीजल पर आधारित विद्युत संयंत्र

5382. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर होने वाली अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से सम्बद्ध कार्य कब तक चालू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सिंगनभाई पटेल): (क) से (ग) डीजल आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के उन प्रस्तावों का ब्यौरा, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आपूर्ति स्वीकृति हेतु प्राप्त की गई है, निम्नवत है:—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रु०)	अभिव्यक्ति
1. कोझिकोडे डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट केरल (120 मे०वा०)	355.00 करोड़	इन स्कीम को के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
2. बम्बूलसैट डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट,साउथ अण्डेमान्स (50 मे०वा०)	69.9 करोड़	इन स्कीम को भी-के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
3. केलालंका डीजी सेट्स विस्तार, कर्नाटक (47 मे०वा०)	124.10 करोड़	
4. कासारगोडे डीजल जेनेरेटिंग पावर प्रोजेक्ट, केरल (60 मे०वा०)	180.8 करोड़	
निजी क्षेत्र		
5. ग्वालियर डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट (126. मे०वा०) मध्य प्रदेश	524.05 करोड़	
6. सामायानाल्लूर डीजल जेनेरेटिंग प्रोजेक्ट (100 मे०वा०) तमिलनाडु	384.00 करोड़	

क्रं सं 1 व 2 के सामने उल्लिखित स्कीमों के संबंध में सरकार ने निवेश संबंधी निर्णय की सूचना प्रदान कर दी है। जहां तक अन्य स्कीमों का संबंध है, तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि आवश्यक निवेश यथा; फ्यूल लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, जल की उपलब्धता, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन आदि और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति तथा वित्त पोषण योजना सुनिश्चित नहीं की गई है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण-कार्य, उनके संबंध में सरकार का निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण कार्य वित्तीय समापन प्राप्त करने तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभी स्वीकृतियां/निवेश सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् शुरू किया जा सकता है।

National Power Tariff Commission

5383. SHRI SATISH PRADHAN. Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the proposal for setting up a National Power Tariff Commission is gethering dust;

(b) if so, the details of the proposal and since when it is pending consideration of Central/State authorities;

(c) what is the present status of the proposal and the reaction of the State Governments to the proposal; and

(d) what fresh initiatives are being taken for restructuring the State Electricity Boards and to substantially improve their functioning in terms operational efficiency and financial viability during the next two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) There is no proposal to set up a National Power Tariff Commission However, Central Government had published a Resolution in the Government of India Gazette on July 7 1992 for setting up a National Power Tariff Board at New Delhi and five Regional Power Tariff Boards at New Delhi, Bombay, Calcutta, Bangalore and Shillong as an advisory body.

(c) A Working Group consisting of five State Electricity Boards appointed in April 1993 to recommend the measures required to vest the proposed Tariff Boards with necessary powers and authorities, however, recommended Statutory Power Tariff Boards and suggested certain legislative changes. The NDC Committee on Power has also submitted its report in this connection. The legislative changes proposed by the Working Group were forwarded to the State Governments for their concurrene. Till date 13 State Governments/UTs have concurred the proposal, in full. Two States of Karnataka and Orissa have given their consent only for National Power Tariff Board.

(d) A number of measures have been initiated to improve the functioning of the SEBs. These, inter-alia, include signing and monitoring of the Operational and Financial Action Plan (OFAP) by Power Finance Corporation (PFC), rationalisation of tariff, regular payment of rural electrification subsidy by the State Governments, improvement in Plant Load Factor, reduction in T&D losses, conversion of State Government loans into equity etc. Further, some State Governments, such as Orissa, have proposed Electricity Reform Bill, which, inter-alia, is meant for setting up of a Regulatory Commission and separate Corporations for generation, transmission and distribution.

Losses of State Electricity Boards

5384. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of losses incurred by various State Electricity Boards; including